राजस्थान सरकार
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग

विज्ञापन नीति–2001

1. उद्देश्य

राज्य की विज्ञापन नीति का उद्देश्य प्रदेश के विकास कार्यों की जानकारी आम आदमी तक पहुंचाने तथा प्रदेश में सौहार्दपूर्ण माहौल तैयार करने के लिये प्रचार माध्यमों के जरिये संदेश देना होगा। नीति का उद्देश्य राज्य के सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को ऐसी प्रक्रिया तैयार करने में मदद करना है जिसके तहत बिना राजनीतिक अथवा वैचारिक भेदभाव के स्वस्थ पत्रकारिता को बढावा देने वाले सभी श्रेणी के समाचार पत्र–पत्रिकाओं व अन्य माध्यमों को विकसित होने का मार्ग मिल सके।

1.1 विभाग में गठित इकाईयों द्वारा सूचनाओं का संकलन करने के साथ–साथ उन्हें इस तरह से प्रसारित किया जाता है कि विकासात्मक गतिविधियां तथा विभिन्न मुद्दों पर सरकारी दृष्टिकोण संतुलित और सकारात्मक ढंग से विभिन्न संचार माध्यमों एवं जनता तक पहुंचाया जा सके। विभाग का आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के साथ कारगर ढंग से समन्वय स्थापित है, जिसके कारण विभाग द्वारा तैयार की गई सूचना सामग्री को इन संचार माध्यमों में पर्याप्त स्थान मिलता है। विभाग में दूरदर्शन के लिए समाचार संकलित करने की अपनी एक दूरदर्शन इकाई भी है; जो महत्वपूर्ण समाचार को दूरदर्शन को प्रेषित करने का कार्य करती है। इसी प्रकार प्रतिदिन तैयार की जाने वाली प्रेस विज्ञप्ति एवं विशेष प्रेस सामग्री भी समाचार पत्रों एवं आकाशवाणी को प्रेषित की जाती है। विभाग का अनुभव रहा है कि इन गतिविधियों को राज्य और राज्य के बाहर प्रकाशित समाचार पत्रों में महत्वपूर्ण स्थान मिलता रहा है। इससे राज्य सरकार के दृष्टिकोण एवं विकास संबंधी कार्यों को जनता के समक्ष प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने में सफलता मिली है।

1.2 सूचनाओं को प्रकाशित करने के साथ–साथ विभाग राज्य में तथा राज्य के बाहर से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में सरकारी विभागों के वर्गीकृत एवं सजावटी विज्ञापनों को प्रकाशनार्थ वितरण का कार्य नियंत्रित एवं निदेशित करता है। सभी सरकारी विभागों द्वारा अपने विज्ञापन सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय में भिजवाये जाते हैं। यहा पर वर्गीकृत समाचार पत्रों को विज्ञापन वितरित करने के नियमों के तहत आवश्यक कार्यवाही की जाती है। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार मान्यता प्राप्त समाचार पत्रों को भारत सरकार के विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा जारी की गई दरों के आधार पर विज्ञापन दिये जाते हैं। ये विज्ञापन दरें निदेशालय को समाचार पत्रों द्वारा भेजी गई प्रसार संख्या पर आधारित होती हैं। समाचार पत्रों के विज्ञापन हेतु अनुमोदन, दरें निर्धारित करते एवं विज्ञापन वितरण की व्यवस्था को अधिक प्रभावी एवं तर्कसंगत बनाने हेतु अब यह आवश्यक हो गया है कि विज्ञापनों के सम्बन्ध में एक न्यायोचित तर्कसगंत प्रणाली विकसित की जाये।

1.3 <u>समाचार पत्रों की वर्तमान स्थिति</u>

22 अगस्त 2014 तक वर्तमान में राज्य में 284 दैनिक, 224 साप्ताहिक, 347 पाक्षिक तथा 18 मासिक एवं अन्य समाचार पत्र राजकीय विज्ञापनों के लिए मान्यता प्राप्त हैं।

प्रमाणित प्रति

A.D.

2. समाचार पत्रों का वर्गीकरण :–

2.1 निम्नांकित मानदण्डों के अन्तर्गत राजकीय विज्ञापन जारी करने के लिए दैनिक समाचार पत्रों को राजस्थान से बाहर के तथा बड़े, मध्यम एवं लघु के रूप में वर्गीकृत किया जायेगा।

(क) राजस्थान से बाहर से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र।

2.2 जो दैनिक समाचार पत्र दिल्ली सहित कम से कम दो स्थानों से (राजस्थान राज्य के अलावा) मुद्रित एवं प्रकाशित होता हो न्यूनतम दो संस्करण और जिसके एक संस्करण (राजस्थान राज्य के अलावा) की न्यूनतम समूल्य प्रसार संख्या 1.50 लाख तथा संयुक्त संस्करण में कोई दो संस्करणों की समूल्य प्रसार संख्या 2.50 लाख हो, को इस वर्ग में सम्मिलित किया जायेगा, यदि वह निम्नलिखित शर्तें भी पूरी करता हो :–

1. न्यूनतम बारह पृष्ठ में मुद्रित होता हो।
2. न्यनतम आकार 22"x 32"/2 हो।
3. मानक चौडाई के आठ कॉलम अथवा अधिक चौड़ाई के कम संख्या में कॉलम जो कि पत्र के उपरोक्त माप में आते हो।
4. ऑफ सेट पद्धति से मुद्रण होता हो।
5. राजस्थान के समस्त जिलों में संवाददाता नियुक्त हों।
6. वेतन भोगी कर्मचारियों सहित सम्पादकीय अनुभाग हो।
7. प्रातः कालीन दैनिक समाचार पत्र हो।
8. समाचार समितियों की सेवायें प्राप्त करता हो।
9. राजस्थान में पर्याप्त प्रसार संख्या हो।

(ख) बडे समाचार पत्र

राजस्थान के जयपुर सहित किन्ही दो स्थानों से मुद्रित एवं प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र, जिसकी एक संस्करण की न्यूनतम समूल्य प्रसार संख्या 50 हजार हो और समस्त संस्करण की न्यूनतम समूल्य प्रसार संख्या एक लाख हो, को इस श्रेणी में रखा जायेगा यदि वह निम्नलिखित शर्तें भी पूरी करता हो :–

1. न्यूनतम दस पृष्ठ में मुद्रित होता हो।
2. न्यूनतम आकार 22" X 32"/2 हो।
3. मानक चौडाई के आठ कॉलम अथवा अधिक चौडाई के कम संख्या में कॉलम जो कि पत्र के उपरोक्त माप में आते हों।
4. ऑफ – सेट पद्धति से मुद्रण होता हो।
5. राज्य के समस्त जिलों में संवाददाता नियुक्त हों।
6. वेतन भोगी कर्मचारियों सहित सम्पादकीय अनुभाग हों।
7. राज्य के आधे से अधिक जिलों में प्रसार एवं पर्याप्त पाठक संख्या हो।
8. समाचार समितियों की सेवायें प्राप्त करता हो।
9. वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करता हो।

प्रमाणित प्रति

A.D.

(ग) मध्यम स्तरीय समाचार पत्र

राज्य के किसी भी जिले या जिलों से मुद्रित एवं प्रकाशित ऐसा दैनिक समाचार पत्र, जिसकी न्यूनतम समूल्य प्रसार संख्या 25 हज़ार से अधिक हो, को इस श्रेणी में रखा जायेगा यदि वह निम्नलिखित शर्तें भी पूरी करता हो :–

1. न्यूनतम 8 पृष्ठ में मुद्रित होता हो।
2. न्यूनतम आकार 22"X 32"/2 हो
3. मानक चौडाई के आठ कॉलम अथवा अधिक चौड़ाई के कम संख्या में क़ालम जो कि पत्र के उपरोक्त माप मे आते हो।
4. ऑफ–सेट पद्धति से मुद्रण होता हों।
5. राज्य के आधे से अधिक जिलों में संवाददाता नियुक्त हों।
6. वेतन भोगी कर्मचारियों सहित सम्पादकीय अनुभाग हो।
7. समाचार समितियों की सेवाएं प्राप्त करता हो।
8. वेतन बोर्ड की सिफारिशों को लागू करता हो।

(घ) छोटे समाचार पत्र

राजस्थान के किसी भी जिले से प्रकाशित एवं मुद्रित समाचार पत्र जो बड़े एवं मध्यम स्तरीय श्रेणी में नहीं आयेंगे, वह इस श्रेणी में सम्मिलित किये जायेंगे।

टिप्पणी 1 :– समाचार पत्रों का ऊपर उल्लेखित वर्गीकरण मात्र विज्ञापन वितरण के लिए ही किया जायेगा।
टिप्पणी 2 :– यहां विज्ञापन वितरण के लिए समाचार पत्र के "मुद्रण" से तात्पर्य घोषणा पत्र में उल्लेखित मुद्रणालय से पत्र के समस्त पृष्ठों के मुद्रण से हैं। जहां–जहां से संस्करण प्रकाशित हो रहे हैं वे मुद्रित एवं प्रकाशित उन्ही स्थानों से हों।

3. विज्ञापन जारी करने के लिए समाचार पत्र की मान्यता

राजस्थान विज्ञापन नियम में निहित सामान्य अथवा विशिष्ट प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए कोई भी राजकीय वर्गीकृत विज्ञापन, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय अथवा विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित समाचार पत्रों के अलावा किसी अन्य पत्र को जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे सभी विज्ञापन निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क के माध्यम से ही जारी किये जायेंगे। परन्तु राजकीय उपक्रम कम्पनी, कृषि उपज मण्डी, विपणन बोर्ड, शीर्ष सहकारी संस्था बोर्ड, पंचायती राज संस्थायें, अन्य स्वायत्तशाषी संस्थाओं के विज्ञापन राजस्थान विज्ञापन नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार स्वयं के स्तर पर जारी किये जा सकेंगे या राज्य सरकार द्वारा यथा निर्दिष्ट प्रक्रिया/एजेन्सी के माध्यम से जारी किये जा सकेगे।

3.1 राजस्थान राज्य में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र को राजकीय विज्ञापनों हेतु मान्यता दी जा सकेगी यदि आवेदन करने की तिथि से पूर्व वह, दैनिक पत्र होने की अवस्था में नियमित रूप से एक वर्ष तक एवं साप्ताहिक, पाक्षिक एवं मासिक पत्र होने की अवस्था में नियमित रूप से दो वर्ष तक प्रकाशित हुआ हो एवं राजस्थान विज्ञापन नियम के नियम 4 में अंकित शर्तों की पूर्ति करता हो।

3.2 राजकीय विज्ञापन के लिए मान्यता के इच्छुक समाचार पत्र के प्रबन्धन को निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक प्रमाण पत्रों सहित, सम्बन्धित जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी के माध्यम से निदेशक को आवेदन करना होगा। प्रस्तुत आवेदन पत्र में दिये गये तथ्यों को 15 दिवस की अवधि में सावधानी पूर्वक सत्यापित करने के पश्चात् जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी द्वारा इसे, अपनी अनुशंसा सहित, निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क को अग्रेषित किया जायेगा।

प्रमाणित प्रति

A.D.

3.3 आवेदन पत्र में दिये गये तथ्यों की सत्यता से निदेशक की संतुष्टि के पश्चात आवेदन पत्र की निदेशालय में प्राप्ति के 90 दिवस की अवधि मे, इसे राजस्थान विज्ञापन नियमों अन्तर्गत गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। निदेशक द्वारा समिति की अनुशंसा को अपनी टिप्पणी सहित राज्य सरकार को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात् 10 दिवस की अवधि के भीतर सम्बन्धित समाचार पत्र को मान्यता प्रदान करने का पत्र जारी कर दिया जायेगा। परन्तु जनसम्पर्क निदेशक को अस्थायी रूप से मान्यता देने का अधिकार होगा। बाद में पुष्टि हेतु कमेटी के सम्मुख रखा जायेगा।

4. विज्ञापन दर

राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर विज्ञापनों के लिए मान्यता देते समय राजस्थान विज्ञापन नियमों में निर्धारित दर ढ़ांचे के अनुसार समाचार पत्रों को प्रति कॉलम सेन्टीमीटर स्वीकृत की जायेगी।

4.1 यदि राजस्थान राज्य में प्रकाशित होने वाला कोई समाचार पत्र (राजस्थान के बाहर के पत्र को छोड़कर) विज्ञापन एवं प्रचार निदेशालय द्वारा प्रदत्त विज्ञापन दरों के लिए आवेदन करता है, ऐसे समाचार पत्रों को तदनुसार दर दे दी जायेगी। असामान्य प्रसार संख्या में संदेह की स्थिति में विभाग द्वारा आवश्यक जांच कराई जाकर उपयुक्त निर्णय लिया जायेगा।

4.2 यदि किसी समाचार पत्र में किसी विशेष स्थान पर विज्ञापन प्रकाशित करने का आदेश दिया जाता है तो उस समाचार पत्र के निर्धारित दर के ढ़ांचे के अनुसार अतिरिक्त भुगतान किया जा सकेगा, परन्तु मूल अनुमोदित दर के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

4.3 रंगीन विज्ञापन के लिए दर का 100 प्रतिशत अतिरिक्त भुगतान किया जायेगा। जो अनुमोदित दर के दुगने से अधिक नहीं होगा।

4.4 समाचार पत्रों को मान्यता के लिए आवेदन के साथ यह लिखित में देना होगा कि वे राजस्थान सरकार से विज्ञापन मान्यता मिलने पर विज्ञापनों के भुगतान हेतु निर्धारित दर डी.ए.वी.पी. की लेना चाहेंगे अथवा राज्य सरकार की। यदि राजस्थान सरकार की दरों का विकल्प देते है तो तीन वर्ष तक डी.ए.वी.पी. की दर प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे। यदि डी.ए.वी.पी. की दर का विकल्प देते है तो उन्हे राज्य सरकार से कोई दर नहीं दी जायेगी तथा डी.ए.वी.पी. की दर डी.ए.वी.पी. के अनुबन्ध पत्र में शर्तों के आधार पर दी जायेगी।

4.5 निगम, बोर्ड तथा स्वायत्तशाषी संस्थाओं द्वारा दिये जाने वाले विज्ञापनों की वाणिज्य दर समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जायेगी।

5. राजकीय विभागों के विज्ञापन जारी करना

5.1 समस्त राजकीय विभागों (विधि द्वारा स्थापित न्यायालयों को छोड़ कर) मान्यता प्राप्त समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु सभी वर्गीकृत विज्ञापन, प्रकाशन की वांछनीय तिथि से पर्याप्त समय के पूर्व निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क को भिजवाये जायेंगे। विज्ञापन भेजते समय संबंधित विभाग द्वारा किसी समाचार पत्र विशेष का नाम प्रस्तावित नहीं किया जायेगा किन्तु विज्ञापन उद्देश्य की पूर्ति हेतु क्षेत्र विशेष का अंकन किया जा सकेगा।

5.2 सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय में विज्ञापन प्राप्ति के सात दिवस की अवधि में संबंधित विज्ञापन को मान्यता प्राप्त समाचार पत्रों को प्रकाशनार्थ जारी कर दिया जायेगा।

5.3 समस्त विज्ञापन सामान्यतः प्राप्त किये गये स्वरूप में ही जारी किये जायेंगे किन्तु आवश्यकता अनुसार विज्ञापन आकार प्रबन्ध की दृष्टि से निदेशक को उसके स्वरूप में संशोधित करने का अधिकार होगा।

प्रमाणित प्रति

A.D.

5.4 सभी विज्ञापन रोस्टर प्रणाली से जारी किये जायेंगे।

5.5 राजकीय उपक्रम निगम, कम्पनियां, शीर्ष सहकारी संस्थायें, बोर्ड, पंचायती राज संस्थाएं और अन्य स्वायत्तशाषी संस्थाएं, नगरपालिका, कृषि उपज मण्डी, बोर्ड और नगर सुधार न्यास समाचार पत्रों को विज्ञापन जारी करते समय निम्नलिखित मानदण्डों की पालना करेंगें।

5.6 वर्गीकृत एवं सजावटी विज्ञापन जारी करते समय राजस्थान विज्ञापन नियमों का ध्यान रखा जाये।

5.7 ऐसी सभी संस्थाओं द्वारा राजस्थान राज्य में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को सजावटी विज्ञापन जारी करते समय रोस्टर प्रणाली अपनाई जायेगी।

5.8 ऐसी संस्थायें अपनी आवश्यता को ध्यान में रखते हुए समाचार पत्र/पत्रिकाओं को सजावटी विज्ञापन जारी कर सकेंगी।

5.9 ऐसी संस्थायें राज्य में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को सजावटी विज्ञापन जारी करते समय बड़े, मध्यम व लघु समाचार पत्रों को रोटेशन प्रणाली से जारी किये जायेंगे।

6. मान्यता प्राप्त समाचार पत्रों को राजकीय विज्ञापनों का वितरणः–

6.1 जनता को सूचना देने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए राजकीय विज्ञापनों को जारी करते समय निम्नांकित आधार बिन्दुओं को ध्यान में रखा जायेगाः

साप्ताहिक	1

50 लाख से अधिक
राज्य के बाहर

(राष्ट्रीय स्तर)	2
बडे	2
मध्यम	2
लघु दैनिक	2
साप्ताहिक	1

6.2 विशिष्ट प्रकरणों में आवश्यकता और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए निदेशक को निर्धारित संख्या से अधिक समाचार पत्रों को वर्गीकृत विज्ञापन जारी करने का अधिकार होगा।

7. मान्यता प्राप्त समाचार पत्रों को वर्गीकृत विज्ञापन जारी करने की प्रकिया

7.1 समाचार पत्र से संबंधित विभिन्न बिन्दु तथा राज्य सरकार द्वारा विज्ञापनों हेतु मान्यता का वर्ष, मुद्रण प्रबंधन श्रेणी, प्रसार संख्या, प्रकाशन का स्थान, प्रसार का भौगोलिक क्षेत्र, नियतकालिकता, पृष्ठ संख्या, मुद्रण की विधि एवं पत्र की गुणवत्ता इत्यादि को ध्यान में रखते हुए, निदेशक द्वारा राजकीय विज्ञापन मान्यता प्राप्त समाचार पत्रों को जारी किये जायेंगें।

7.2 वर्गीकृत विज्ञापन केवल दैनिक, साप्ताहिक और पाक्षिक समाचार पत्रों को जारी किये जायेंगे।

7.3 विभिन्न विभागों से प्राप्त होने वाले विज्ञापनों की प्राप्ति के लिए निदेशालय में एक रजिस्टर संधारित किया जायेगा, जिसमें प्रत्येक विज्ञापन के लिए क्रम संख्या एवं प्राप्ति की दिनांक अंकित की जायेगी।

7.4 विज्ञापन प्रकाशन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए राष्ट्र स्तरीय/राज्य से प्रकाशित बड़े तथा अन्य समाचार पत्रों के लिए विभिन्न रोस्टर काम में लिए जायेंगे और विज्ञापन प्राप्ति के क्रमानुसार समाचार पत्रों को रोस्टर के आधार पर जारी किये जायेंगे। राज्य सरकार के समस्त विभागों, मंडल एवं निगमों से यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है कि विज्ञापन वितरण में निदेशालय के रोस्टर की पालना हो।

7.5 अत्यावश्यक प्रकृति वाले विज्ञापनों को निदेशक/आयुक्त के अनुमोदन के पश्चात् प्राथमिकता से जारी किया जा सकेगा।

7.6 समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ विज्ञापन, निविदा खुलने की तिथि से न्यूनतम 45 दिवस पूर्व सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय में प्राप्त होना आवश्यक होगा।

प्रमाणित प्रति

A.D.

7.7 इस नीति में निहित प्रावधानों के उपरान्त भी राज्य सरकार को आवश्यकता अनुसार राज्य अथवा राज्य से बाहर प्रकाशित होने वाले किसी भी समाचार पत्र, पत्रिका अथवा अन्य किसी प्रकाशन को उचित माने जाने वाली दरों पर वर्गीकृत विज्ञापन देने का अधिकार होगा।

8. उन विज्ञापनों के वितरण की प्रक्रिया, जिनमें कार्य लागत इंगित नहीं हो:–

8.1 वे विज्ञापन जिनमें कार्य लागत इंगित नहीं हो, यथा नीलामी सूचनायें, रोजगार सूचनायें भू–अवाप्ति के प्रकरणों आदि) निम्नांकित श्रेणी के दैनिक पत्रों को जारी किये किये जायेंगे:–

(अ) बडा पत्र 1

(ब) मध्यम 1

9. इलेक्ट्रोनिक मीडिया को विज्ञापन जारी करना

11.1 समस्त राजकीय विभागों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं के विज्ञापन सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर जारी किये जायेंगे।

10. विज्ञापन बिलों का भुगतान

10.1 निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क द्वारा जारी किये गये राज्य सरकार के सजावटी विज्ञापनों के पूर्ण रूप से आवश्यक दस्तावेजों/सूचनाओं के साथ प्राप्त बिलों का भुगतान निदेशालय द्वारा 90 दिन की अवधि में किया जायेंगा।

10.2 निदेशक, सूचना एपं जनसम्पर्क के माध्यम से विभिन्न विभागों के जारी किये जाने वाले वर्गीकृत एवं सजावटी तथा इलेक्ट्रोनिक मीडिया के विज्ञापनों के बिलों का भुगतान संबंधित विभागों द्वारा 90 दिन की अवधि में किया जायेगा।

10.3 बिलों का भुगतान, निदेशक द्वारा जारी किये गये रिलीज ऑर्डर एवं इंटीमेशन में दिये गये विवरण का सत्यापन करने के पश्चात् ही किया जायेगा।

10.4 विज्ञापन बिलों का भुगतान यथा उनकी विभाग में प्राप्ति के क्रमानुसार ही किया जायेगा। विलम्ब होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

A.D.

प्रमाणित प्रति